(5) 2.

सहकार किसान कल्याण योजना

राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की फसली ऋणों के अतिरिक्त कृषि साख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर उनकी शाखाओं एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु **"सहकार किसान कल्याण योजना "** प्रारम्भ की जा रही है ।

पृष्ठ भूमिः–

आज का कृषक जिस क्षेत्र में मात्र 2 फसल होती है, मौसमी रूप से बेरोजगार रहता है तथा जोत कम होने की वजह से वे आर्थिक रूप से अल्प रोजगार (underemployment) रहते हैं यदि इन काश्तकारों/कृषकों की भूमि बंधक बनाकर रखकर उन्हें साख सीमा/टर्म ऋण के रूप में वित्तपोषण किया जावे तो वे अतिरिक्त संसाधन जुटाकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे एवं वर्तमान में जो साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए है, से मुक्ति पा सकेंगे, जो कि सहकारी बैंकों का मुख्य ध्येय है।

सहकारी साख संरचना का ग्रामीण काश्तकारों से जुड़ाव निरन्तर बनाये रखने के उद्धेश्य से **"सहकार किसान कल्याण योजना"** प्रारम्भ की जा रही है ताकि कृषकों को फसली ऋण के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य वितीय संस्था से संपर्क न करना पड़े ।

योजना का नामः–

इस योजना का नाम " **सहकार किसान कल्याण योजना**" होगा।

उद्धेश्य :

- सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरलीकृत प्रक्रिया के द्वारा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाना।
- कृषि में अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना एवं पशुपालन व बागवानी को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त कृषि में आधुनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- अधिक आसान शर्तो, किफायती ब्याज दर एवं ऋण चुकारा करने की अवधि को और अधिक सुविधाजनक बनाना।

ऋण प्रयोजन :

- **कृषि यंत्रीकरण** – ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, कृषि आदान व उत्पाद परिवहन वाहन, सीड ड्रिल खरीद व रिपेयर, थ्रेसर, कुट्टी मशीन, कृषि यंत्रों की खरीद व मरम्मत आदि कार्य ।

शासन उप सचिव (प्रथम)
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

- **सिंचाई साधन** – पाईप लाईन, फव्वारा, लघु सिंचाई, निर्माण कार्य एवं मरम्मत, नाली मरम्मत व सुधार, पानी की खेली व पंप रिपेयर आदि कार्य।

- **बागवान विकास** – बागवानी, बीज उत्पादन, मेंहदी उत्पादन, फलदार पौध, नर्सरी विकास, कृषि भूमि की फेसिंग, मुण्डेर का निर्माण/मरम्मत, विद्युत कनेक्शन, विद्युत लाईन मरम्मत, बिजली बिल भुगतान आदि कार्य

- **डेयरी विकास** – दुधारू पशु खरीद, चिकित्सा, पशु बीमा, केटल शेड निर्माण, दुग्ध प्रसंस्करण यंत्र, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऊंटगाडी– बैल गाडी खरीद/मरम्मत आदि कार्य।

- **चारा संग्रहण एवं भण्डारण**

पात्रता :

- सम्बन्धित जिले/केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।
- सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वंय के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो व ऋणी स्वंय इस भूमि पर स्वंय काश्त करते हो।
- काश्तकार सहकारी समिति/सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक का सदस्य हो।

ऋण सीमा :

- केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा असिंचित भूमि होने की स्थिति में अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक का तथा सिंचित भूमि होने पर अधिकतम 20.00 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

  पैक्स/लैम्पस के माध्यम से असिंचित भूमि होने की स्थिति में 50,000 रूपये तथा सिंचित भूमि होने की स्थिति में 01.00 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा सकेगा।

  परन्तु उपरोक्त ऋण सीमा प्रतिभुति के रूप में गिरवी रखी जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- सदस्य के पक्ष में ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण उपलब्ध भूमि एवं पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर होगा।

ब्याज दर :

- इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले सावधि ऋण पर 11.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।

शासन उप सचिव (प्रथम)
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(7)

ऋण का चुकारा :

- योजनान्तर्गत साख आवश्यकताओं हेतु टर्म ऋण को चुकाने की अधिकतम अवधि 9 वर्ष होगी।

ऋण की सुरक्षा :

- ऋण लेने हेतु किसान द्वारा अपनी भार रहित कृषि भूमि को बैंक के पक्ष में ऋण की सुरक्षा हेतु रहन रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त एक सक्षम व्यक्ति जो कि बैंक का नोमिनल सदस्य भी हो, की व्यक्तिगत जमानत प्राप्त की जायेगी।
- ऋण से सृजित संपत्तियों के बीमा के साथ–साथ ऋणी को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दुर्घटना बीमा करवाया जाना अनिवार्य होगा अर्थात् प्रीमियम का भार ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा।

दस्तावेज :

- आवेदक द्वारा साधारण कागज पर ऋण का प्रयोजन एवं आवश्यकता दर्शाते हुए फोटो युक्त ऋण आवेदन पत्र मय ऋण प्रयोजन का स्वघोषणा पत्र, भूमि से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज, सदस्यता विवरण, जमानत नामा आदि के साथ आवेदन पत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक / ग्राम सेवा सहकारी समिति में आवेदन किया जायेगा। नियमानुसार मांग वचन पत्र, समय वचन पत्र, ऋण अनुबंध, उपयोगिता पत्र, ऋण स्वीकृति पत्र, इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे।

शासन उप सचिव (प्रथम)
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय जयपुर